बारहवीं अनुसूची

[धारा 70(ख) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(क) क्र0 सं0 100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 27 फरवरी, 2010 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

क्र0 सं0	**शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का वर्णन**
(1)	**(2)**	**(3)**
"100	कोई अध्याय	शीर्ष 8712, 8713, 8715 और 8716 के अधीन आने वाले यानों को छोड़कर, अध्याय 87 के अधीन आने वाले यानों के पुर्जे, घटक और समंजक (जिसके अंतर्गत इंजनों में फिट की गई चेसिस भी है)";

(ख) क्र0 सं0 100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी और 29 अप्रैल, 2010 से जोड़ी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	**(2)**	**(3)**
"100क	कोई अध्याय	टैरिफ मद 8426 41 00, शीर्ष 8427, 8429 और उपशीर्ष 8430 10 के अधीन आने वाले माल के पुर्जे, संघटक और समंजक" ।